

फर्द अहकाम

नानगराम

बनाम प्रेम देवी

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

स्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 07/2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
---------------------------	----------------------	-------------

26/09/24 पगावली फेरा हुई उमयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। प्राची अधिवक्ता ने मौखिक रूप से जाहिर किया कि इस प्रार्थना पत्र नजरसानी (रिव्यू) अर्न्तगत धारा 228 रज. काय. अधि. 1957 से संबंधित मूल वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी ठिके धाजा का इस न्यायालय द्वारा खारिज करमा किया गया है।

पगावली पर उपलब्ध रिपोर्ट का अवलोकन करने एवं प्राची अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर पुनरी 2 उपरान्त इस प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल वाद पत्र एवं के खारिज होने से यह प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शून्य (Infructuous) हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

पगावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर है।